




सत्यमेव जयते

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

DEPARTMENT OF
ADMINISTRATIVE REFORMS &
PUBLIC GRIEVANCES

भारत सरकार

Government of India



सचिवालय सुधार

- क) निर्णयन दक्षता में वृद्धि
- ख) ई-ऑफिस
- ग) स्वच्छता अभियान और लंबित मामलों को घटना

मासिक रिपोर्ट | जून 2024

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

विषयसूची

1. मुख्य-मुख्य बातें (जून 2024)	3
2. निर्णयन दक्षता में वृद्धि	4
2.1 डिलेयरिंग	4
2.2 डिलेयरिंग की स्थिति	5
3. ई-ऑफिस एनालिटिक्स और कार्यान्वयन	7
3.1 ई ऑफिस एनालिटिक्स	7
3.2 ग्रोथ ऑफ ई-फाइल्स	8
3.3 ई-फाइल बनाना (जून 2024)	9
3.4 अंतर्विभागीय फाइल संचलन	9
3.5 ई-रिसीट अपनाना (ई-रिसीट का % शेयर)	10
3.6 ई ऑफिस एनालिटिक्स	11
4. स्वच्छता अभियान और लंबित मामलों को घटाना	15
4.1 स्वच्छता अभियान	15
4.1.1 कचरा निपटान से अर्जित राजस्व	16
खाली हुआ स्थान	16
क. शीर्ष 3 मंत्रालयों/विभागों द्वारा खाली हुए स्थान का उपयोग	17
4.1.2 स्वच्छता अभियान स्थल	18
4.1.3 छँटाई की गई फाइल (फिजिकल फाइल).....	18
4.2 लंबित मामलों के मापदंड पर कार्यनिष्पादन	19
5. स्वच्छता अभियान की पहुँच (जनवरी – जून 2024).....	21
6. पहले-बाद में	22
7. श्रेष्ठ परिपाटियाँ : ई - कचरा निपटान	24
8. मंत्रालयों/विभागों का मापदंड-वार कार्यनिष्पादन	26

9. इन फोकस: स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	28
9.1 परिचय	28
स्वच्छता : एक झलक	29
स्थान का कुशल प्रबंधन	29
मासिक अभियानों का उल्लेखनीय उपलब्धियां	31
निर्णयन क्षमता में वृद्धि	31
ई ऑफिस	31
डीओएसईएल :सिंहावलोकन.....	32
10. निर्णयन दक्षता में वृद्धि पर कार्यालय ज्ञापन	33
अनुलग्नक- I आँकड़े जो अपलोड नहीं हुए	36
अनुलग्नक-II संक्षिप्तीकरण सूची	37

1. मुख्य-मुख्य बातें (जून 2024)

I. ईऑफिस एनालिटिक्स और कार्यान्वयन

- क) जून 2024 में बनाई गई कुल फाइलों में से 94.08% ई-फाइलें हैं , जबकि मई 2024 में यह संख्या 94.34% थी ।
- ख) जून 2024 में, 42 मंत्रालयों/विभागों के पास 100% ई-फाइलें थीं ।
- ग) जून 2024 में, सृजित 3,83,081 रिसीट में से 3,60,792 (94.18%) ई- रिसीट थीं। जून 2024 में 16 मंत्रालयों/विभागों के पास 100% ई- रिसीट हैं ।
- घ) केंद्रीय सचिवालय में सक्रिय फाइलों के लिए औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर 2021 में 7.19 से घटकर जून 2024 में 4.19 हो गया है ।
- ङ) केवल 5 मंत्रालयों/विभागों का औसत ट्रांजैक्शन स्तर 5 से अधिक है ।
- च) अंतर-मंत्रालयी फाइल संचलन की स्थिति जून 2024 में 3,658 की तुलना में मई 2024 में 3,818 थीं ।

II. स्वच्छता अभियान

- क) 5,242 स्थलों पर स्वच्छता अभियान
- ख) 2,58,191 वर्ग फुट स्थान खाली हुआ
- ग) कचरा निपटान द्वारा अर्जित राजस्व – 25,24,47,857 रुपये

III. लंबित मामलों में कमी

क) निपटाए गए

- ✓ 4,44,817 लोक शिकायतें
- ✓ 14,144 लोक शिकायत अपील
- ✓ 885 एमपी संदर्भ
- ✓ 334 राज्य सरकार का संदर्भ
- ✓ 77 आईएमसी संदर्भ
- ✓ 946 पीएमओ संदर्भ

ख) पूरा किया गया


- ✓ 92, संसद आश्वासन

ग) अभिलेख प्रबंधन


- ✓ 3,79,393 की समीक्षा और 79,871 फिजिकल फाइलों की छंटाई
- ✓ 2,42,309 ई-फाइलें समीक्षा के लिए प्रस्तुत की गईं और 1,66,369 ई-फाइलें को बंद किया गया ।

2. निर्णयन दक्षता में वृद्धि

2.1 डिलेयरिंग




- केंद्रीय सचिवालय में सक्रिय फाइलों का औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर 2021 में 7.19 से घटकर जून, 2024 में 4.19 हो गया है।




2.2 डिलेयरिंग की स्थिति


निम्नलिखित ग्राफ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में जून 2024 के लिए अलग-अलग औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तरों को दर्शाता है:

क. < 4 तक स्तर के औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर वाले मंत्रालय/विभाग




ख. 4 से 5 के बीच के स्तर वाले औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर वाले मंत्रालय/विभाग





ग. >5 के स्तर वाले औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर वाले मंत्रालय/विभाग




3. ईऑफिस एनालिटिक्स और कार्यान्वयन

3.1 ईऑफिस एनालिटिक्स

➤ ई-ऑफिस एनालिटिक्स डैशबोर्ड (<https://vishleshan.eoffice.gov.in/>) का शुभारंभ दिनांक 19 दिसम्बर , 2023 को किया गया ।

यह डैशबोर्ड निम्नलिखित सुविधा प्रदान करता है:

- गहन डेटा विश्लेषण को आसान बनाने और निर्णयन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए रियल टाइम मेट्रिक्स
- डेटा और ट्रेंड्स के विजुअलाइजेशन के माध्यम से निर्णयन को प्रयोक्तानुकूल बनाना
- ई-ऑफिस को और अधिक सुव्यवस्थित एवं मजबूत बनाने के लिए डेटा विश्लेषण
- आईईडीएम के व्यापक कार्यान्वयन को सुगम बनाना





एनालिटिक्स डैशबोर्ड इंटरफेस

यूआरएल: <https://vishleshan.eoffice.gov.in/>

यह डैशबोर्ड केवल एनआईसी नेट पर उपलब्ध है। यह वर्तमान में भारत सरकार के सभी सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों (जिनके लिए ईमेल आईडी (केवल एनआईसी ई-मेल) के विवरण के साथ एनआईसी को विशिष्ट अनुरोध किया जाना है) और मोबाइल नंबर के लिए सुलभ है।

3.2 ग्रोथ ऑफ ई – फाइल्स




जून 2024 में, ई- फाइलों का शेयर **94.08%** है ।


3.3 ई-फाइल सृजन (जून 2024)

जून 2024 माह के लिए <90% शेयर वाले मंत्रालय/विभाग :

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	ई-फाइल्स का % शेयर
1.	राजभाषा विभाग	27.59%
2.	व्यय विभाग - वित्त मंत्रालय	50.97%
3.	गृह मंत्रालय	61.31%
4.	भारी उद्योग मंत्रालय	69.86%
5.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	82.21%
6.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	85.08%


3.4 अंतर-विभागीय फ़ाइल संचलन






- जून 2024 माह के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के पास अधिकतम अंतर-मंत्रालयी फाइलों की संख्या (884) है, इसके बाद गृह मंत्रालय (806) और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (423) का स्थान है।

3.5 ई-रिसीट अपनाना (ई-रिसीट का % शेयर)





- जून में, कुल 3,83,081 रिसीट में से 3,60,792 (94.18 %) ई-रिसीट थीं।
- जून 2024 में, 16 मंत्रालयों/विभागों में ई-रिसीट शेयर 100% था।

3.6 ईऑफिस एनालिटिक्स

ईऑफिस एनालिटिक्स डेटा का सारांश इस प्रकार है:

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	% ई - फाइल्स	% ई-रिसीट	औसत विशिष्ट स्तर >4वाली फाइलों का %
1.	आर्थिक कार्य विभाग	92.49%	96.40%	लागू नहीं
2.	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	100.00%	90.86%	44.44%
3.	प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग	100.00%	100.00%	लागू नहीं
4.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	100.00%	96.15%	11.76%
5.	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	97.56%	99.09%	34.06%
6.	पशुपालन और डेयरी विभाग	99.73%	99.81%	27.30%
7.	बायोटेक्नोलॉजी विभाग	100.00%	100.00%	30.56%
8.	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	100.00%	99.95%	23.21%
9.	वाणिज्य विभाग	99.49%	98.48%	21.48%

10.	उपभोक्ता मामले विभाग	100.00%	99.59%	33.77%
11.	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	100.00%	100.00%	59.41%
12.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	100.00%	99.93%	45.03%
13.	व्यय विभाग	50.97%	35.13%	लागू नहीं
14.	उर्वरक विभाग	100.00%	99.28%	41.01%
15.	वित्तीय सेवाएँ विभाग	99.10%	92.83%	लागू नहीं
16.	मत्स्य विभाग	100.00%	100.00%	30.11%
17.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	100.00%	97.77%	43.14%
18.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	90.99%	90.71%	लागू नहीं
19.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	99.36%	93.41%	लागू नहीं
20.	निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग	100.00%	99.90%	लागू नहीं
21.	न्याय विभाग	100.00%	99.95%	44.29%
22.	भूमि संसाधन विभाग	100.00%	100.00%	लागू नहीं
23.	विधि कार्य विभाग	100.00%	100.00%	लागू नहीं
24.	राजभाषा विभाग	27.59%	31.15%	लागू नहीं
25.	पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग	100.00%	100.00%	32.50%
26.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	85.08%	87.19%	46.34%
27.	औषध विभाग	100.00%	99.84%	लागू नहीं
28.	डाक विभाग	100.00%	100.00%	37.63%
29.	लोक उद्यम विभाग	100.00%	100.00%	0.00%
30.	राजस्व विभाग	93.11%	73.02%	लागू नहीं
31.	ग्रामीण विकास विभाग	100.00%	99.90%	लागू नहीं
32.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	99.65%	99.62%	29.34%
33.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	100.00%	100.00%	4.59%
34.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	100.00%	100.00%	लागू नहीं
35.	दूरसंचार विभाग	92.25%	87.54%	लागू नहीं
36.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	99.49%	99.97%	31.48%
37.	विधायी विभाग	100.00%	84.48%	7.83%
38.	आयुष मंत्रालय	92.02%	82.91%	57.92%
39.	नागर विमानन मंत्रालय	100.00%	99.81%	36.04%
40.	कोयला मंत्रालय	100.00%	100.00%	36.88%
41.	सहकारिता मंत्रालय	100.00%	88.60%	लागू नहीं


42.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	100.00%	100.00%	16.97%
43.	संस्कृति मंत्रालय	97.81%	97.21%	50.33%
44.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	100.00%	99.92%	लागू नहीं
45.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	100.00%	100.00%	60.47%
46.	शिक्षा मंत्रालय	92.54%	98.24%	लागू नहीं
47.	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	98.43%	96.10%	लागू नहीं
48.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	100.00%	99.93%	36.07%
49.	विदेश मंत्रालय	100.00%	99.87%	32.82%
50.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	100.00%	94.03%	42.65%
51.	भारी उद्योग मंत्रालय	69.86%	99.71%	34.67%
52.	गृह मंत्रालय	61.31%	78.36%	28.59%
53.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	100.00%	95.68%	लागू नहीं
54.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	82.21%	71.86%	52.92%
55.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	98.78%	90.10%	40.86%
56.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	100.00%	87.47%	लागू नहीं
57.	खान मंत्रालय	100.00%	99.84%	40.37%
58.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	100.00%	91.76%	42.86%
59.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	98.94%	100.00%	लागू नहीं
60.	पंचायती राज मंत्रालय	100.00%	100.00%	28.57%
61.	संसदीय कार्य मंत्रालय	97.06%	99.36%	लागू नहीं
62.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	99.29%	98.59%	लागू नहीं
63.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	100.00%	99.80%	47.18%
64.	विद्युत मंत्रालय	98.40%	99.93%	लागू नहीं
65.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	99.80%	99.92%	लागू नहीं
66.	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	99.71%	94.08%	लागू नहीं
67.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	99.65%	99.85%	लागू नहीं
68.	इस्पात मंत्रालय	97.39%	98.69%	38.13%
69.	वस्त्र मंत्रालय	98.37%	84.60%	लागू नहीं
70.	पर्यटन मंत्रालय	100.00%	99.95%	35.71%
71.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	100.00%	97.06%	लागू नहीं
72.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	100.00%	99.90%	लागू नहीं
73.	युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय	96.84%	99.36%	36.63%

74.	नीति आयोग	100.00%	91.44%	लागू नहीं
-----	-----------	---------	--------	-----------


- 5 से अधिक औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर वाले मंत्रालयों/विभागों द्वारा डिलेयरिंग/डेलीगेशन की समीक्षा किया जाना। डीएआरपीजी के दिनांक 12.03.2021 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 30011/12/2015-ओएंडएम- भाग I (6452) (रिपोर्ट का पृष्ठ 33)।

4. स्वच्छता अभियान और लंबित मामलों को घटना


4.1 स्वच्छता अभियान



4.1.1 कचरा निपटान से अर्जित राजस्व



4.1.2 खाली हुआ स्थान



क. शीर्ष 3 मंत्रालयों/विभागों द्वारा खाली हुआ स्थान

- कोयला मंत्रालय: जून 2024 में, खाली हुआ स्थान 95,194 वर्ग फुट है। खाली हुए स्थान के अनुसार शीर्ष 3 स्थल इस प्रकार हैं: -

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	साफ़ किए गए स्थलों की संख्या	खाली हुआ स्थान (वर्ग फुट)
1.	सीसीएल	4	27,800
2.	डब्ल्यूसीएल	57	20,194
3.	एससीसीएल	10	18,000
कुल			65,994 वर्ग फुट


- भारी उद्योग मंत्रालय: जून 2024 में, खाली हुआ स्थान 42,501 वर्ग फुट है। खाली हुए स्थान के अनुसार शीर्ष 3 स्थल इस प्रकार हैं: -

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	खाली हुआ स्थान (वर्ग फुट)
1.	बीएपी, रानीपेट	14,400
2.	एफएसआईपी, जगदीशपुर	3,600
3.	एचईपी, भोपाल	3,000
कुल		21,000 वर्ग फुट


- विद्युत मंत्रालय: जून 2024 में, खाली हुआ स्थान 20,320 वर्ग फुट है। खाली हुए स्थान के अनुसार शीर्ष 3 स्थल इस प्रकार हैं: -

क्र. सं.	स्थल	खाली हुआ स्थान (वर्ग फुट)
1.	एनटीपीसी, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, मध्य प्रदेश	20,000
2.	एसजेवीएन, नाथपा झाकड़ी बांध	320
कुल		20,320 वर्ग फुट


4.1.3 स्वच्छता अभियान स्थल



4.1.4 छाँटी गई फ़ाइलें (फिजिकल फ़ाइलें)



4.2 लंबित मामलों के पैरामीटर पर कार्य निष्पादन



2024 के लिए >2 पैरामीटर में <40% निपटान वाले मंत्रालयों/विभागों की सूची

क्र. सं.	मंत्रालय /विभाग	जनवरी 24	फ़रवरी 2024	मार्च 24 @	अप्रैल 24 @	मई'24 @	जून 2024	<40% पैरामीटर के साथ महीनों की संख्या
1.	सैन्य कार्य विभाग	4	4	2	2	3	5	4
2.	ग्रामीण विकास विभाग	5	6	2	2	3	6	4
3.	परमाणु ऊर्जा विभाग	2	1	1	3	3	5	3
4.	वाणिज्य विभाग	3	3	0	0	0	3	3
5.	रक्षा विभाग	3	3	2	2	2	6	3
6.	उच्च शिक्षा विभाग	4	3	2	1	2	3	3
7.	डाक विभाग	3	3	1	1	1	3	3
8.	विधायी विभाग	3	3	2	2	1	3	3
9.	आयुष मंत्रालय	3	4	0	2	2	4	3

@ मार्च 2024-मई 2024 माह के लिए एमपी संदर्भ, संसदीय आश्वासनों और आईएमसी संदर्भों की निगरानी नहीं की गई है।

क्र. सं.	मंत्रालय /विभाग	जनवरी 24	फ़रवरी 2024	मार्च 24 1@	अप्रैल 24 @	मई'24 @	जून 2024	<40% पैरामीटर के साथ महीनों की संख्या
10.	संस्कृति मंत्रालय	4	5	2	2	2	4	3
11.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	4	3	2	2	2	4	3
12.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	3	3	1	0	1	3	3
13.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	4	3	1	1	2	3	3
14.	उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	3	1	1	2	1	4	2
15.	कृषि, अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	2	3	0	0	1	4	2
16.	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	2	3	1	0	0	3	2
17.	आर्थिक कार्य विभाग	5	4	2	2	2	2	2
18.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2	3	0	0	1	3	2
19.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	3	3	1	0	1	2	2
20.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	3	4	1	1	0	2	2
21.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	1	3	2	1	1	3	2
22.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	1	3	0	0	1	3	2
23.	इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	3	3	1	1	1	2	2
24.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	2	4	2	2	2	4	2
25.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	3	3	0	0	0	2	2
26.	लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	4	2	1	2	2	4	2
27.	खान मंत्रालय	3	5	2	2	1	2	2
28.	विद्युत मंत्रालय	1	3	1	1	2	3	2
29.	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	3	2	0	1	1	5	2


@ मार्च 2024-मई 2024 माह के लिए एमपी संदर्भ, संसदीय आश्वासनों और आईएमसी संदर्भों की निगरानी नहीं की गई है।

5. स्वच्छता अभियान की पहुंच (जनवरी-जून 2024)


जनवरी-जून 2024 के दौरान, पूरे भारत में कवर किए गए महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान स्थलों का राज्यवार विभाजन।



6. पहले-बाद में



पहले



बाद में

बैंक ऑफ बड़ौदा, परमेश्वरन पिल्लई बिल्डिंग, कोल्लम में कचरा निपटान; वित्तीय सेवाएं विभाग



पहले



बाद में

साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्युकिलियर फिज़िक्स, कोलकाता में सफाई और कचरा निपटान; परमाणु ऊर्जा विभाग



पहले




बाद में

सेम्बक्कम एसओ में वृक्षारोपण अभियान, डाक विभाग

7. सर्वोत्तम प्रथाएं : ई-कचरा निपटान

Various Locations of Bank of Baroda disposing e-scrap



पंजाब एवं सिंध बैंक क्षेत्रीय एवं प्रधान कार्यालय (नई दिल्ली) में ई-कचरा निपटान; वित्तीय सेवाएं विभाग



कृषि भवन, नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटान करते हुए; खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग



सी.वी. रमन नगर, बेंगलुरु में बेकार बैटरियों का निपटान किया जाएगा; रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग



पहले




बाद में


जीएसटी भवन, कोलकाता से ई-कचरे के निपटान के बाद खाली हुआ स्थान;
सीबीआईसी

8. मंत्रालयों/विभागों का पैरामीटरवार कार्य निष्पादन


एमपी संदर्भ




संसदीय आश्वासन




आईएमसी संदर्भ




राज्य सरकार संदर्भ




पीएमओ संदर्भ



लोक शिकायतें



छांटी गई फाइलें



9. इन फोकस : स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

9.1 परिचय

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज के विकास, राष्ट्रीय विकास, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) ऐतिहासिक रूप से वंचित और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता, समावेशिता और समानता प्राप्त करने के लिए ग्रेट लेवेलर के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर जोर देती है कि "... आज की तेजी से बदलती दुनिया में अच्छे, सफल, अभिनव, एडेप्टिव और प्रोडक्टिव इंसान बनने के लिए सभी छात्रों को कुछ विषयों, कौशल और क्षमताओं को सीखना चाहिए। इन कौशलों में शामिल हैं: जल और संसाधन संरक्षण, सफाई और स्वच्छता सहित पर्यावरण जागरूकता"। एनईपी 2020 को अक्षरशः लागू करने और प्रो प्लेनेट ग्रीन वरियर्स की एक पीढ़ी तैयार करने के लिए स्कूलों में ईको क्लबों को पुनर्जीवित किया जा रहा है।

विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बुद्ध जयंती पार्क, नई दिल्ली में पीपल का पौधा लगाकर #एक_पेड़_माँ_के_नाम #Plant4Mother अभियान की शुरुआत की। धरती माता द्वारा प्रकृति के पोषण और हमारी माँ द्वारा मानव जीवन के पोषण के बीच समानता दर्शाते हुए, माननीय प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के लोगों से अपनी माँ के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान के प्रतीक के रूप में एक पेड़ लगाने और पेड़ों और धरती माता की रक्षा करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। स्कूली छात्रों को इस गतिविधि को करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और छात्रों ने अपनी माताओं के साथ मिलकर 5.99 लाख से अधिक ऐसे पौधे लगाए हैं।



पहल - #एक_पेड़_माँ_के_नाम #Plant4Mother

स्वच्छता की झलकियां



स्थान का कुशल प्रबंधन



इको क्लब फॉर मिशन लाइफ, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) की फ्लैगशिप स्कीम, समग्र शिक्षा के तहत एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य छात्रों को सार्थक पर्यावरण-अनुकूल गतिविधियों और परियोजनाओं को अपनाने में सक्षम बनाना है, जिससे पर्यावरण संबंधी मामलों के प्रति संवेदनशीलता और उन्हें दूर करने के लिए सही दृष्टिकोण और स्वभाव विकसित हो सके। सरकार के संपूर्ण दृष्टिकोण के अनुरूप, ईको क्लब की गतिविधियों को मिशन लाइफ के साथ जोड़ दिया गया है और क्लबों का नाम बदलकर " ईको क्लब फॉर मिशन लाइफ " कर दिया गया है। लाइफ का विचार माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 2021 में ग्लासगो में सीओपी 26 में रखा गया था और चूंकि भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संरक्षण और संयम की परंपराओं और मूल्यों के आधार पर एक स्वस्थ और सस्टेनबल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ईको क्लब फॉर मिशन लाइफ का उद्देश्य छात्रों में पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार को बढ़ावा देना और एक संधारणीय जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इन क्लबों के तत्वावधान में, मिशन लाइफ थीम पर आधारित विश्व पर्यावरण दिवस 05 जून, 2024 से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों /एबी के स्कूलों में समर कैंप आयोजित किए गए। इन शिविरों में 11 करोड़ से अधिक छात्रों, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों की भागीदारी दर्ज की गई। समर कैंप की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियाँ नीचे सूचीबद्ध हैं:

क्र. सं.	की गई कार्रवाई	उपलब्धियाँ
कचरा निपटान के लिए पहल		
1.	एकत्रित सिंगल यूज़ प्लास्टिक की मात्रा	6,55,366 किलोग्राम
2.	प्रतिस्थापित की गई प्लास्टिक की पानी की बोतलों की संख्या	4.9 लाख
3.	ई-कचरा अभियानों की संख्या	1.2 लाख
4.	एकत्रित ई-कचरे की मात्रा	2,06,201 किलोग्राम
स्वच्छता अभियान		
1.	आयोजित स्वच्छता अभियानों की संख्या	2.01 लाख
2.	इंस्टाल किए गए 2 बिन प्रणालियों की संख्या	1.63 लाख
3.	निर्मित/पुनर्जीवित खाद गड्डों की संख्या	1.32 लाख
4.	गठित ऊर्जा टीमों की संख्या	1.1 लाख
5.	रोपे गए पौधे	11.23 लाख
6.	मातृ वृक्षारोपण के लिए पौधे लगाए	5.99 लाख
7.	प्रस्तुत किए गए निबंध - "ए लिविंग विटनेस: एन एसे थू दि आइज़ ऑफ आ ट्री"	12.83 लाख
8.	आयोजित नेचर वॉक की संख्या	1.75 लाख

मासिक अभियान की उल्लेखनीय उपलब्धियां :डीओएसईएल


महीना (2024)	आयोजित किए गए स्वच्छता अभियान	समीक्षा की गई फिजिकल फाइलें	छँटाई की गई फाइलें	समीक्षा की गई डिजिटल फाइलें	बंद हुई फाइलें
जनवरी	3	40	40	0	0
फरवरी	2	155	14	508	8
मार्च	2	163	48	675	0
अप्रैल	2	190	74	478	5
मई	2	177	52	870	5
जून	2.01 लाख	200	200	1345	5

निर्णयन दक्षता में वृद्धि

डोएसईएल ने अपने प्रस्तुतिकरण और प्रक्रियाओं के चैनल में पूर्ण रूप से डिलेयरिंग को लागू किया है तथा सभी विषयों पर निर्णय 4 या उससे कम स्तरों पर लिया जा रहा है।

ई-ऑफिस

सूचना, संचार और ट्रांजैक्शन का आदान-प्रदान पूरी तरह से ई-ऑफिस/ई-मेल के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकारों/अन्य मंत्रालयों/स्वायत्त संगठनों के साथ बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाती हैं। इस विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संगठनों में भी ई-ऑफिस पूरी तरह से लागू है (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) को छोड़कर, जहां इसे आंशिक रूप से लागू किया गया है)। विभाग ने एनआईओएस को अपने ई-ऑफिस के पूर्ण रूप से प्रचालन का निर्देश दिया है।



स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) के आंकड़े “शिक्षा मंत्रालय” शीर्ष के अंतर्गत दिखाए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा ई-ऑफिस कार्यान्वयन की स्थिति इस प्रकार है:

- जनवरी 2024 से जून 2024, सक्रिय ई-फाइलों की संख्या 95,254 है।
- जनवरी 2024 से जून 2024, सक्रिय ई-फाइलों का % शेयर 79.34% है।
- जून 2024 में, ई-फाइल्स % शेयर 92.54% है।
- जून 2024 में, सृजित 14,298 रिसीट में से 14,046 (98.23%) ई-रिसीट हैं।

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) : सिंहावलोकन



10. निर्णयन दक्षता में वृद्धि पर कार्यालय ज्ञापन

No.30011/12/2015-O&M-Pt.I(6452)
 Government of India
 Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
 Department of Administrative Reforms & Public Grievances

Sardar Patel Bhavan, Sansad Marg,
 New Delhi, Dated: 12.03.2021

Office Memorandum

Subject: - Increasing Efficiency in Decision Making in the Government - regarding

Efficient decision making is fundamental to a responsive and accountable governance. Accelerating the pace and efficiency of decision making is crucial for economic growth and enhancing the ease of living of citizens. The Central Secretariat Manual of Office Procedure (CSMOP) has been a guiding framework for effective functioning of the Central Secretariat offices. The fifteenth edition of the Manual i.e. CSMOP-2019 was brought out with the aim of bringing simplicity, efficiency and transparency in Government processes and procedures.

2. Comprehensive review of levels of disposal, channels of submission and effective use of technology is needed for enhancing efficiency in decision making. Accordingly, the following provisions of CSMOP, relating to minimizing levels of disposal and channels of submission, delegation of powers, effective use of the desk officer system, technology adoption including use of e-Office version 7.0 and strengthening of the Central Registration Unit are being reiterated for time bound compliance:

(A) Level of disposal and channel of submission

- (i) Each Ministry/Department shall review the instructions on levels of disposal and channels of submission keeping in view that the number of levels shall not exceed four by delegating powers to lower formations. This review shall be done at least once in three years. (CSMOP-2019, Para 7.6 (i) &(ii) of Chapter 7)
- (ii) The channels of submission shall be decided by the Ministry/Department concerned by taking into account the functionaries and functions of Government of India, as defined in Para 3.1 of Chapter-3 of CSMOP and ensuring that the levels in a channel of submission do not exceed four.
- (iii) The channel of submission of cases other than the classified ones must be made available on the website of the Department. The name, telephone number and e-mail I.D of the officers dealing with various subject should also be made available on the website. (Para 7.6(i) of CSMOP).

- (iv) Origin, destination and movement of files for each category of subject may be decided by the Ministry/Department concerned depending upon the importance of the issues/subjects. File movement for each category of subject should also be clearly charted with clear origin and decision levels. In this regard CSMOP-2019 Para 7.6 of Chapter 7 provides as under:-
- a. Dealing Officer will take action on a case in accordance with the Departmental instructions prescribing the level of final disposal as per the Departmental instructions on channel of submission of files for each category of cases.
- b. For addressing cross cutting issues, the Secretary of the concerned Ministry/Department should have the flexibility to create inter-disciplinary teams.
- c. Wherever level jumping in a given channel of submission is done in respect of any category of cases, each such case on its return will pass through all the levels jumped over in that channel and levels so jumped could, in suitable cases, resubmit the cases for reconsideration, if necessary.

(B) Effective Use of Desk Officer System:

Each Ministry/Department shall ensure that the Desk Officer System, as envisaged in Para 3.1 of Chapter 3 of CSMOP 2019 is put to optimum use. For this purpose, Ministry/Department shall identify the work which could be handled in a more effective and efficient manner by Desk Officers.

(C) Technology Adoptions - Optimizing e-Office Platform:

- (i) Technology needs to be progressively leveraged for efficient decision making. Chapter 15 of CSMOP is dedicated to e-Office digitization framework. As an enabler for march towards digital secretariat, e-Office aims to bring more transparency, efficiency and accountability in the Government transactions leading to increased promptness and productivity. Accordingly, e-Office platform should be optimally utilized by Ministries/Departments
- (ii) As Central Secretariat moves towards Digital Secretariat, the reskilling/upskilling of the existing supporting staff, also needs to be addressed suitably.
- (iii) E-office version 7.0 which also has provision for seamless movement of files across Ministries/Departments, is due to be rolled out by NIC in April, 2021. Ministries/Department should migrate to this version upon its roll out.

(D) Strengthening Central Registry Unit (CRU)

Each Department shall ensure that the CRU is made functional with optimum efficiency by meeting the human resources and infrastructure needs for functioning of the Digital Secretariat, as envisaged in Appendix 5.2 of CSMOP-2019.

3. All Ministries/Departments as well as their attached and subordinate offices shall ensure time bound compliance of the above. Action Taken Report in this regard may be furnished to DARPG expeditiously.

Kshatrapati Shivaji
Mar 12, 2021.

(Kshatrapati Shivaji)
Secretary to the Government of India

To
All Secretaries to the Government of India

अनुलग्नक- I अपलोड नहीं किए गए आंकड़े

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग
1.	निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
2.	जनजातीय कार्य मंत्रालय

अनुलग्नक II- संक्षिप्तीकरण सूची

क्रम सं.	संक्षेप	मंत्रालय /विभाग का नाम
1.	सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आय कर)
2.	सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
3.	डीपीआईआईटी	उद्योग व्यापार और संवर्धन विभाग
4.	डीएआरपीजी	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
5.	डीएआरई	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
6.	डीएएंडएफडब्ल्यू	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
7.	डीएएच	पशुपालन, डेयरी विभाग
8.	डीईई	परमाणु ऊर्जा विभाग
9.	डीबीटी	बायोटेक्नोलॉजी विभाग
10.	डीसीपी	रसायन एवं पेट्रोसायन विभाग
11.	डीओसी	वाणिज्य विभाग
12.	डीओसीए	उपभोक्ता मामले विभाग
13.	डीओडी	रक्षा विभाग
14.	डीओडीपी	रक्षा उत्पादन विभाग
15.	डीआरडीओ	रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग
16.	एमओ डोनर	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
17.	डीईए	आर्थिक कार्य विभाग
18.	डीईपीडब्ल्यूडी	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
19.	डीईएक्सडब्ल्यू	भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
20.	डीओई	व्यय विभाग
21.	डीओएफ	उर्वरक विभाग
22.	डीएफएस	वित्तीय सेवाएं विभाग
23.	फिशरीज	मत्स्य पालन विभाग
24.	डीएच एंड एफडब्ल्यू	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
25.	डीएच एंड एफडब्ल्यू	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
26.	डीएचआर	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
27.	डीएचई	उच्चतर शिक्षा विभाग
28.	दीपम	विनिवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
29.	डीओजे	न्याय विभाग

30.	डीओएलआर	भूमि संसाधन विभाग
31.	डीओएलए	विधि कार्य विभाग
32.	डीएमए	सैन्य कार्य विभाग
33.	डीओएल	राजभाषा विभाग
34.	डीपीपीडब्ल्यू	पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
35.	डीओपीटी	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
36.	डीओपीएच	औषध विभाग
37.	पोस्ट	डाक विभाग
38.	डीओपीई	लोक उद्यम विभाग
39.	डीओआर	राजस्व विभाग
40.	डीओआरडी	ग्रामीण विकास विभाग
41.	डोएसईएल	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
42.	डीएसटी	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
43.	डीएसआईआर	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
44.	डीओएसजेई	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
45.	डीओएस	अंतरिक्ष विभाग
46.	स्पोर्ट्स	खेल विभाग
47.	डीओटी	दूरसंचार विभाग
48.	डीओडब्ल्यूआर एण्ड आरडी	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
49.	डीओवाईए	युवा मामले विभाग
50.	एलडी	विधायी विभाग
51.	आयुष	आयुष मंत्रालय
52.	मोका	नागर विमानन मंत्रालय
53.	कोल	कोयला मंत्रालय
54.	को-ऑपरेशन	सहकारिता मंत्रालय
55.	एमसीए	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
56.	एमओसी	संस्कृति मंत्रालय
57.	एमओडीडब्ल्यू एस	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
58.	एमओई	शिक्षा मंत्रालय
59.	एमओईएस	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
60.	माइटी	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
61.	एमओईएफसीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

62.	एमईए	विदेश मंत्रालय
63.	एमओएफ	वित्त मंत्रालय
64.	एमओएफपीआई	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
65.	एमएचआई	भारी उद्योग मंत्रालय
66.	एमओएचएफडब्ल्यू	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
67.	एमएचए	गृह मंत्रालय
68.	एमओएचयूए	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
69.	एमआईबी	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
70.	एमओएलई	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
71.	एमएसएमई	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
72.	एमओएम	खान मंत्रालय
73.	एमओएमए	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
74.	एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
75.	एमओपीआर	पंचायती राज मंत्रालय
76.	एमपीए	संसदीय कार्य मंत्रालय
77.	एमओपीएनजी	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
78.	एमओपी	विद्युत मंत्रालय
79.	एमओआर	रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
80.	एमओआरटीएच	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
81.	एमओपीएसडब्ल्यू	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय
82.	एमएसडीई	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
83.	एमओएसपीआई	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
84.	एमओएस	इस्पात मंत्रालय
85.	एमओटी	वस्त्र मंत्रालय
86.	टूरिज्म	पर्यटन मंत्रालय
87.	एमओटीए	जनजातीय कार्य मंत्रालय
88.	एमओडब्ल्यूसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
89.	एमओवाईएस	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
90.	नीति आयोग	नीति आयोग



सत्यमेव जयते

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

भारत सरकार

5वां तल, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001